Vol 5 Issue 10 July 2016

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies,
Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Advisory Board

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal
University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

ISSN: 2249-894X Impact Factor : 3.1402(UIF) Volume - 5 | Issue - 10 | July - 2016

Review Of Research

जी.एस.टी. बिल भ्रांतियां एवं यथार्थ

डॉ. नीलम त्रिवेदी
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य , शासकीय महाविद्यालय मरवाही , जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश–
वर्तमान समय में लोगों को किसी विषय की जानकारी न होने पर भी भीड़ के साथ विरोध करने की आदत सी हो गई है। आजकल कई टी.वी. कार्यक्रमों में आम जनता से देश के बारे में सामान्य प्रश्न पूछते दिखाया जाता है, जिसका बिना सिर पैर का गलत जवाब मिलता है। तो क्या वाकई में यह वही जनता है जो संसद में बड़े–बड़े विधेयक को पारित होने में विरोध जताती है ? क्या उन्हे उस विधेयक के कारणों व उसके परिणामों की सही जानकारी होती है? और यदि नही तो फिर विरोध कैसा ?

प्रस्तावना
देश से संबंधित किसी भी विषय पर विरोध या सहमति प्रदर्शित करने से पूर्व उसके दोनों पहलूओं पर अच्छी तरह से विचार कर लेना ज्यादा उचित है वैसे भारत के मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन अगर वह अभिव्यक्ति राष्ट्र के किसी विशेष फैसले के संबंध में हो तो अच्छी तरह से विचार करके अभिव्यक्त करना राष्ट्रहित में होगा। इससे देश अपने विकास के संबंध मे सही निर्णय ले सकने में सक्षम होगा जिसका लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिल सकेगा।
ऐसा ही एक विषय है जी.एस.टी. बिल (वस्तु एवं सेवा कर विधेयक) जो आए दिन समाचार की सुर्खियों मे बना हुआ है। क्या है, जी.एस.टी. बिल ? इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है ? क्या यह भारत जैसे विकासशील देश के लिये सही है ? इन सभी बातों की सही जानकारी होने पर ही इस पर सहमति व असहमति प्रकट करना उचित होगा।

विश्व के 160 से अधिक देशों मे जी.एस.टी. लागू है। अमेरीका में लागू नही है। वर्तमान वित मंत्री जी के अनुसार जी.एस.टी. से देश का आर्थिक एकीकरण होने वाला है, प्रस्तावित जी.एस.टी. को 1947 के बाद सबसे बड़ा कर परिवर्तन (टैक्स रिफार्म) माना जा रहा है। अब जब इतनी बड़ी गतिविधि हो रही है तो देश को भी विचार करना चाहिए।

जी.एस.टी. बिल क्या है ?

भारत की कर प्रणाली में दो प्रकार के कर लगाए जाते है। (1). प्रत्यक्ष कर (2) अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों में आयकर, धनकर व निगम कर शामिल है जबकि अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, विक्रय कर, सेवा कर, वैट, चुगी इत्यादि आते है। जी.एस.टी. अर्थात् गुड्स एंड सर्विस टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर) अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएगा। जी.एस.टी. के लागू होने से प्रत्येक सामान और सेवा पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा अर्थात् उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, वैट इत्यादि की जगह एक ही टैक्स लगेगा। तात्पर्य है कि जी.एस.टी. के लागू होने से देश में लगाए जा रहे अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो जायेंगे। इसके जरिए अलग–अलग टैक्स खतम कर उनकी जगह एक ही टैक्स सिस्टम करना है। इससे संपूर्ण देश में प्रत्येक उत्पाद व सेवाओं पर देश के लोगों को एक ही टैक्स चुकाना होगा। इससे पूरे देश मे किसी भी सामान व सेवाओं की कीमत एक ही रहेगी। वर्तमान में वस्तुओं पर भिन्न प्रकार के टैक्स लगते है।

Volume - 5 | Issue - 10 | July - 2016

आप किसी भी राज्य में रहते हो आपको प्रत्येक सामान, एक ही कीमत पर मिलेगा जैसे–यदि दिल्ली में किसी गाड़ी को खरीदा जाता है तो दूसरे राज्यों की अपेक्षा उसकी कीमत भिन्न होती है। जी.एस.टी. के लागू होने से आम आदमी को सामान सस्ता मिलेगा।

जी.एस.टी. बिल की आज तक की स्थिति :–

गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स संपूर्ण विश्व के 160 से अधिक देशों (अमेरीका को छोड़कर) में लागू है। भारत में वर्ष 2006–07 के आम बजट में सर्वप्रथम इस बिल का जिक्र किया गया। कांग्रेस लंबे समय से देश में सिंगल टैक्स सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रही थी।

जी.एस.टी. बिल को लेकर 122वॉ संविधान संशोधन विधेयक मई 2016 में लोकसभा मे पारित हो गया है। इसे कानून बनाने के लिए किए गए संवैधानिक संशोधन को राज्य सभा से भी पारित होने की आवश्यकता है। इसे राज्यसभा में पारित होने के लिए कम से कम आधे राज्यों की सभा को भी इस बिल पर सहमति देनी होगी तब जाकर जी.एस.टी. लागू हो सकेगा। इसके पारित होन पर केन्द्र और राज्य मिलकर समान टैक्स की दर तय कर सकेंगे।

वर्तमान में राज्य सरकारें जी.एस.टी. बिल को लेकर एकमत नही है इनमें कई तरह के मतभेद है। राज्यों को यह डर है कि जी.एस.टी. लागू हुआ तो उनकी कमाई कम हो जाएगी। खासकर पेट्रोल, डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है तो ऐसी परिस्थितियों में केंद्र ने राज्यों को राहत दे दी है कि इन वस्तुओं पर अभी जो टैक्स राज्य ले रहे है उसे प्रारंभिक कुछ वर्षों तक लेते रहे। राज्यों का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई पॉच साल तक केन्द्र करेगा। इसके अलावा जी.एस.टी. से जो टैक्स मिलेगा उसे केंन्द्र व राज्यों में एक निर्धारित दर से बांटा जाएगा।

जी.एस.टी. बिल का सकारात्मक पक्ष :–

(1) वस्तुओं के मूल्य मे एकरूपता :–जी.एस.टी. लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क, विक्रय कर, सेवा कर, वैट आदि विविध प्रकार के कर हटा दिए जाऐंगे इससे पूरा देश एकीकृत बाजाए में बदल जाएगा, जिससे वस्तुएं पूरे देश में लगभग एक ही मूल्य पर मिलेगी चाहे किसी भी राज्य से खरीदे।

(2) विविध करों से राहत :– जी.एस.टी. बिल के लागू होते ही केंन्द्र व राज्यों को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लक्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, वैट, चुंगी इत्यादि सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो जायेंगे।

(3)वस्तुओं के मूल्यों में कमी :–वर्तमान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से किसी उत्पाद की कीमत उत्पादकों से लेकर हमारे हाथों तक पहुंचने तक दुगुनी/तिगुनी हो जाती है। किसी भी सामान को खरीदते वक्त उस पर 30 से 35 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाते है, कहीं तो यह 50 प्रतिशत तक है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद ये टैक्स घटकर 12 से 16 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

यदि जी एस.टी.की दर 18 प्रतिशत निर्धारित हो जाती है तो आपको लाभ होगा क्योंकि वैट और एक्साइज दोनों हट जायेंगे। वर्तमान में आप कुछ खास वस्तुओं वस्तुओं पर अधिकतम 12.5 प्रतिशत की दर से एक्साइज ड्यूटी चुकाते है और वैट अपने राज्य के हिसाब से चुकाते है, अर्थात् मोटे तौर पर आप 25 से 26 प्रतिशत तक टैक्स चुकाते है। ऐसे में जी.एस.टी. बिल आने से टैक्स का भार कम हो जाएगा और सामान सस्ता हो जाएगा।

(4) व्यावसायियों को लाभ :–जी.एस.टी. बिल लागू होने से कंपनियों की परेशानियां और खर्च भी कम होगें। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक टैक्स संरचना होने से उनके लिए टैक्स भरना भी आसान होगा। जब किसी कंपनी को अलग–अलग टैक्स नही चुकाना पड़ेगा तो वस्तु निर्माण की लागत घटेगी इससे सामान सस्ता होने की भी उम्मीद है।

(5)जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) निर्धारण में सरलता :–वर्तमान में असंख्य व्यापार का कोई रिकार्ड नहीं है, जिसके कारण देश की जी.डी.पी. का सही आंकलन नही हो पाता है। जी.एस.टी. में सेवा प्रदान करने वाले को भी व्यापारी माना जाएगा। व्यापारी हो या उद्योगपती, यदि उनका सलाना टर्नओवर दस लाख से अधिक है तो उन्हे रिटर्न फाईल करना पड़ेगा। इससे वास्तविक आंकड़े सामने आऐंगे और कर की वसूली भी बढ जाएगी, जिससे जी.डी.पी. का निर्धारण आसान हो जायेगा।

(6)कर संरचना में सुधार :–जी.सी.टी. लागू से कर संरचना में सुधार होगा। टैक्स भरना आसान हो जाएगा। इससे टैक्स की चोरी रूक जाएगी। किसी भी उत्पाद पर लगने वाला कर एक जैसा रहेगा। जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इसके आने से टैक्स का ढाँचा पारदर्शी होगा। जिसका सीधा असर देश की जी.डी.पी. पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी।

(7) कर भरना आसान होगा :–जी.एस.टी. के आने से टैक्स का ढाँचा पारदर्शी होगा और असमानता नहीं होगी। काफी हद तक टैक्स विवाद कम होंगे। जी.एस.टी. लागू होने से विविध करों के कानून और रेगुलेटरों का झंझट नही होगा। साथ ही सब कुछ ऑनलाईन होगा। इससे एक ही व्यक्ति या संस्था पर कई बार कर लगने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इससे कुछ राज्यों में राजस्व में बढोत्तरी होगी।

जी.एस.टी. बिल के नकारात्मक पक्ष :–

(1) सेवाओं के मूल्य में वृद्धि :– जी.एस.टी. के आने से वस्तुओं के मूल्य में तो कमी आएगी लेकिन सेवाओं के मूल्य बढ़ जाऐंगे। हम वर्तमान मे सेवाओं पर 14.5 प्रतिशत सर्विस टैक्स देते है। जी.एस.टी. आने के बाद यह दर 18 प्रतिशत हो जाएगी। जैसे 100 रू. के मोबाईल बिल पर हम 14.5 प्रतिशत की दर से 114.5 रू. मूल्य का भुगतान करते है जी.एस.टी. लागू होने पर 118रू. चुकाना पड़ेगा।

इस तरह देखा जाए तो होटलों में खाना, हवाई बिल, बीमा प्रीमियम आदि विभिन्न सेवाऐं महंगी हो जायेगी।

(2) जी.एस.टी. की अस्पश्ट स्थिति :– जी.एस.टी. बिल क्या है ? इसे किस दर पर लागू किया जायेगा ? इसमें राज्यों की कितनी भागीदारी रहेगी ? कई लोगों के मन में यह दुविधा है कि यदि यह टैक्स लगाया जाता है तो स्लैब क्या होगा ? टैक्स पर निर्णय कौन लेगा ? इस प्रकार की बातें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

(3) केंन्द्र व राज्यों के मध्य मतभेद :–जी.एस.टी. को लेकर राज्य सरकारें एकमत नहीं है। जहॉ एक ओर उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तथा बिहार के मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार है वहीं कई राज्यों का मानना है कि सभी राज्यों की कर दर एक ही होगी तो जनता पर

Volume - 5 | Issue - 10 | July - 2016

अधिक बोझ पड़ेगा क्योंकि जी.एस.टी. लागू होने पर सारे अधिकार केन्द्र के पास होंगें।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की पार्टी ने मांग की है कि यह दर 18 प्रतिशत कानून मे ही तय कर दी जाए जबकि सरकार दर तय करने का अधिकार अपने पास रखना चाहती है।

(4) जी.एस.टी. पर विपक्ष दलों की मांगे :– जी.एस.टी. बिल पर विपक्ष दलों की कुछ मांगे है। जैसे :– 1. संविधान संशोधन विधेयक में जी.एस.टी. की दर 18 प्रतिशत ही हो।

2. 1 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर का प्रस्ताव खत्म किया जाए।
3. राज्यों के विवादों के निपटारे के लिए जी.एस.टी. डिसप्यूट सेटलमेंट ऑथॉरिटी (विवाद निपटान प्राधिकरण) का गठन किया जाए जिसकी अध्यक्षता पूर्व जज को दी जाए।

निष्कर्ष :–

जी.एस.टी. को भारत की कर प्रणाली की सभी समस्याओं का एकमुश्त समाधान माना जा रहा है। अखबारों में ज्यादातर लेख और बयानों को पढ़ने पर जी.एस.टी. की प्रसंशा ही मिलती है। जी.एस.टी. को अंतिम रूप से बेहतर माना जा रहा है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था में प्रत्येक प्रकार के व्यापार का रिकार्ड तो होना ही चाहिए जी.एस.टी. के आने से यह संभव हो सकेगा।

भारत में किसी भी वस्तु व सेवाओं पर केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाती है। जी.एस.टी. के लागू होने से सभी अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो जायेंगे और एक ही दर से कर लगाया जाएगा। विभिन्न राज्यों में वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों में काफी विविधता पाई जाती है। लेकिन जी.एस.टी. लागू होने से इस अंतर को कम किया जा सकेगा। इस कर के लागू होने से कर का संकलन बढ़ जाएगा और भारत की जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) भी दशमलव नौ से डेढ़ दो प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

लेकिन क्या वास्तव में इस दर के लागू होने से सभी जगह समान कर लागू होंगे। जी.एस.टी. से पहले वैट और सर्विस टैक्स आया था तब भी उन्हे लेकर खूब सपने दिखाए गए थे लेकिन वास्तविकता हम सबके सामने है। जी.एस.टी. को एक दर व एक प्रकार की कर प्रणाली कहा जा रहा है तो फिर इनकी सूची में तीन अलग–अलग नाम क्यों है सेंटर जी.एस.टी, स्टेट जी.एस.टी., इन्टर स्टेट जी.एस.टी.। यदि इससे आर्थिक एकीकरण होना है तो यह तीन प्रकार की जी.एस.टी. क्यों है ? एक ही प्रकार की क्यों नही। तीन प्रकार प्रकार की जी.एस.टी. के कारण व्यावसायियों का कर निर्धारण भी तीन जगहों पर देखा जाएगा। एक ही रिटर्न फाइल करना होगा लेकिन उसकी जॉच कम से कम दो या तीन अधिकारी केन्द्रं व राज्य के स्तर पर करेंगें। कहीं व्यवस्था वही तो नहीं रहेगी।

चांदी और विलासिता पर जी.एस.टी.अलग होगी आम जनता से जुडी वस्तुओं पर जी.एस.टी. अलग होगी। यदि दर की समस्या इसमें भी रहेगी तो फिर इससे क्या लाभ।

राज्यों को पेट्रोलियम पर वैट और विक्रय कर लगाने की छूट क्यों दी गई। केन्द्र सरकार राज्यों को तीन वर्ष तक जो भी राजस्व नुकसान होगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। उसके बाद जो राजस्व नुकसान होगा तो राज्य क्या करेंगे। पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन, रसोई गैस पर अलग–अलग राज्यों में जो कर लगते है उसे कुछ वर्षों तक जारी रखा जाएगा।

जी.एस.टी. से देश में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ जाएगा। विद्वानों के अनुसार अप्रत्यक्ष कर के बढने पर मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है लेकिन जी.एस.टी के आने से वस्तुओं के मूल्य में कमी होने की बात कही जा रही है। कहीं यह प्रलोभन मात्र ही तो नही है।

हम सभी लोगों को इस जटिल विषय के बारे में और अच्छे से सोच–विचार करने की जरूरत है, ताकि जब सरकार संसद में इसे पास कर, इसे लेकर बड़े–बड़े दावे करे तो हम भी इसकी उपयोगिता और ऐतिहासिकता को समझ सकें। देश से संबंधित किसी भी विषय पर जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नही है, आवश्यकता है कुछ और दूरदृष्टा विशेषज्ञो व जानकारों की जो इस महत्वपूर्ण फैसले से देश में होने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान करे, व देश हित के संबंध में सही निर्णय लेने में अपनी अहम भूमिका निभा सके।

स्त्रोत :–

- http://hindiwebdunia.com
- http://khabar.ndtv.com/news
- http://www.patrika.com
- www.dainikbhaskar.com
- basu d.d. : Introduction to the constitution of India
- दैनिक समाचार पत्र : दैनिक भास्कर, दिनांक – 21.07.2016 पृष्ट कमांक – 07

डॉ. नीलम त्रिवेदी
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य , शासकीय महाविद्यालय मरवाही , जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org